

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
ओमाराम बनाम चम्पा वगैरा
प्रकरण संख्या:- 14/2009
धारा 53,188

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

10/11/24

राजस्व वाद संख्या 14/2009, अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, का बटवाडा हेतु पेश किया वाद में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.11.2011 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई प्राथमिक डिक्री के आधार पर तहसीलदार लूणी से बटवाडा प्रस्ताव मंगवाया जाने हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमांक /भूअ/2024/3781 दिनांक 09.12.2024 को प्रकरण में बटवाडा प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें बटवाडा प्रस्ताव में तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट में बताया गया कि वादी एव प्रतिवादी वर्तमान में खातेदार नहीं होने से उक्त वाद संख्या 14/2009 वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पटवारी की जाँच के आधार पर वाद को खारिज किये जाने की अनुशषा तहसीलदार लूणी द्वारा अपनी रिपोर्ट में गई।

अतः-वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 जो तहसीलदार लूणी की अनुशषा/रिपोर्ट के आधार वादी एव प्रतिवादी वर्तमान में खातेदार नहीं होने से उक्त वाद खारिज योग्य प्रतीत होने से वाद खारिज किया जाता है पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।।



न्यायालय सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी